

तो ये जो दोनों बातें हैं क्या ये एक दूसरे का कोन्ट्राडिक्शन करती हैं या फिर एक दूसरे को कन्ट्राडिक्ट करती हैं। इसके बारे में मंत्री जी को क्या कहना है। क्या वे पब्लिक अन्डरटेकिंग्स से परचेज करेंगे और उनको प्रोफिट पहुंचाएंगे या फिर प्राइवेट छोटे उद्योगों से परचेज करेंगे? इसका उत्तर मंत्री जी दें।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य काफ़ी अनुभवी हैं और वे इन सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सरकारी उपक्रम हैं उनको जो प्रोत्साहन देने की बात है और उनको जो विशेष सहायता दी गई है, वे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर दी गई हैं। सरकारी उपक्रमों की उपयोगिता, आवश्यकता, और सार्थकता सब को भली भांति मालूम है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर उन को प्रोत्साहन दिया गया है कि जहां तक हो सके, जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, उन के माल को खरीदने में शासन प्राथमिकता दे। शासकीय उपक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसे निर्देश हैं और इस से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और उनके बीच में कोई कन्ट्राडिक्शन की बात नहीं है।

श्री मूलचन्द्र डागा : मेरा यह कहना है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट यह कहती है और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अपनी पालिसी के बारे में, उसमें यह लिखा है :

"We will encourage the small scale industry and we will give preference to purchase goods from small scale industries."

whereas you are telling otherwise.

क्या आप की जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, वे अच्छा माल पैदा नहीं करती हैं, इसलिए आप उन को प्रोत्साहन देते हैं

ताकि जो बाटा होता है वह न हो ? इस के बारे में आप बताइए।

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, there are two things. The hon. Member is slightly confusing between the private sector and the public sector. When any purchase is to be made by any Public Sector or Government Department, public sector under the new policy is entitled to 10 per cent preference. Between the large-scale and small-scale sector, whether it is public sector or private sector, the small-scale sector is entitled to 15 per cent preference over the other.

PROF. MADHU DANAVATE: While appreciating the general policy and the norm laid down by the Government of India, I would like to know categorically from the hon. Minister whether you would like to encourage the cooperative sector or the cooperative enterprise and put them on par with the public sector enterprises as far as purchases are concerned,—of course, subject to their fulfilling the quality requirements and keeping up the delivery schedule.

SHRI R. VENKATARAMAN: At the moment no such decision has been taken. But I will have it examined.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: May I know whether State undertakings would get 10 per cent preference at the time of placing orders? You have Central and State undertakings, I am asking about State undertakings.

SHRI R. VENKATARAMAN: 'Public sector' means all Central Enterprises.

राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर और बोकारो इत्यादि संयंत्रों के पास सहायक उद्योग

\* 488. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या इत्यादि और ज्ञान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दक्षिण वाला एक विवरण सभापत्य पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, और बंकारो इस्पात संयंत्रों के पास कितने सहायक उद्योग स्थापित किये गये हैं और उन के कुल वार्षिक उत्पादन का कितने प्रतिशत माल इन इस्पात संयंत्रों में इस्तेमाल होता है;

(ख) यदि इन सहायक एककों के उत्पादन का उपयोग इस्पात संयंत्रों द्वारा नहीं किया जाता तो आवश्यक वस्तुएं उपेक्षित मात्रा में किन संस्थाओं में से खरीदी जाती हैं और किस मात्रा में; और

(ग) मुख्य उद्योगों के सहायक एककों के विस्तार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c). A statement in respect of Rourkela and Bokaro Steel Plants is laid on the Table of the House but information in respect of Durgapur and Burnpur Steel Plants is being collected and will be laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) and (b). The number of small scale/ancillary industries registered with Rourkela and Bokaro Steel Plants for supply of stores and spares, etc., is as follows:—

Plant	Small Scale	Ancillary
Rourkela . . . . .	110	21
Bokaro . . . . .	135	23

All industrial units, which have been accorded the status of ancillary units, must supply at least 50 per cent of their products to the steel plants. Precise information regarding the percentages of their total annual production supplied to the steel plants is however not available and, as the various units may be engaged in wide

range and variety of production activities (not all being related to the steel plants), the collection of such information will necessarily be laborious as well as time-consuming, and not commensurate with the results.

(c) In pursuance of the Guidelines issued by the Bureau of Public Enterprises for the development of ancillary and other small scale industries, encouragement is given by the management of the steel plants in various ways, important among which are placing orders for items which can be manufactured by the small scale/ancillary units, providing technical know-how and guidance, arranging or helping in procurement of raw materials, providing testing and laboratory facilities, carrying out regular reviews and earmarking items which can be off-loaded to these industries, and so on. To help the growth and development of such industries, senior officers have been appointed in each plant for supervising and coordinating the work. Ancillary industries are exempted from depositing earnest money and security deposits. Tender documents are also supplied free of cost to them. Assistance is also provided for securing orders from other Government Organisations.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि ये जो चार सरकारी उपक्रम देश में चल रहे हैं और चारों घाटे में चल रहे हैं। इनके अधिकारी अनाप-शनाप खर्च करते चले जाते हैं। मैंने डेढ़ महीने पहले यह प्रश्न भेजा था लेकिन डेढ़ महीने में भी इन कारखानों का जवाब नहीं आ सका कि इन अनुषंगी और लघु उद्योगों में कितना उत्पादन होता है और कितना इन कारखानों को दिया जाता है।

यह एक पूर्व सिद्धांत है कि जितना भी एन्सिलियरी इंडस्ट्रीज उत्पादन करेंगी उसका 50 प्रतिशत उत्पादन उन्हें इन कारखानों को देना चाहिए। ये जो हमारे

चारों कारखानों के वरिष्ठ अधिकारी हैं आखिर वे करते क्या हैं जो कि अभी तक जवाब उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। हमारे प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि "यह जानकारी एकत्र करने में काफी श्रम और समय लगेगा जो इससे निकलने वाले परिणाम के अनुरूप न होगा।"

ये लोग अभी तक जवाब तैयार नहीं कर सके हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कारखाने जनता के हाथ में हैं या इन्हें ब्यूरोक्रेसी चला रही है? अभी आप इस सप्लीमेंटरी बजट में 122 करोड़ 50 लाख रुपये की डिमाण्ड करने जा रहे हैं और इसलिए करने जा रहे हैं कि इनमें जो घाटा है उसे पूरा कर सकें।

मैं पूछना चाहता हूँ कि राउरकेला और बोकारो की अनुषंगी और लघु इकाइयों में वास्तविक उत्पादन कितना है और इन दोनों कारखानों को जो उनका 50 प्रतिशत उत्पादन लेना चाहिये था क्या वह उन्होंने लिया? यदि नहीं, तो कितना लिया? क्या इन दोनों कारखानों की रिपोर्ट आपके पास आयी है कि उनका उत्पादन कितना हुआ है और उन्होंने 50 प्रतिशत उत्पादन दिया है या नहीं?

चारों कारखानों के अनुषंगी और लघु उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ और क्या उनको 50 प्रतिशत उत्पादन दिया गया या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : यह मैं जोड़ देता हूँ कि क्यों नहीं दिया गया।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I do not know whether the hon. Member gave 1½ months notice or not, but we do get a notice of 4 or 5 days before the actual answer is prepared in the

Ministry concerned. That is why it takes some time. In fact for Durgapur, I can give him the total figure. There are 94 small-scale units. But I do not have the figure to State how many of them are ancillary and how many of them are small-scale industries. That is why I took some time to provide the correct information. As per the guidelines issued by the Bureau of Public Enterprise these ancillary industries are to provide 50 per cent products of the parent industries. I may give the figures as to how much orders we placed to these ancillary industries in so far as Rourkela is concerned. Total value of the order placed in 1977-78 is Rs. 9.15 crores. For 1978-79, it is Rs. 11.30 crores. For 1979-80, it is Rs. 13.75 crores. And upto September 1980, the total value of the order placed is Rs. 7.79 crores.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यः दो ही कारखानों का बताया गया है, लेकिन बर्नपुर, दुर्गापुर और भिलाई इत्यादि के बारे में नहीं बताया तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो चार वरिष्ठ अधिकारी हैं जो डेढ़ महीने से इसका पूरा विवरण नहीं दे पाए, क्या इन चारों अधिकारियों को मुअत्तल करेंगे और जनता के पैसे के अपव्यय को बचाएंगे?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is not a relevant question. I explained the position how much time we take to collect the information.

श्री एन० ई० होरी : यह प्रश्न जो पूछा गया है, सिर्फ एंसिलरी इंडस्ट्रीज के बारे में है, लेकिन उसमें आपने स्माल-स्केल-इंडस्ट्रीज को भी जोड़ दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज जितनी खुली हैं, उनकी ये शिकायत है कि उनको पूरा-पूरा काम नहीं मिलता। बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर इत्यादि से नहीं मिलता और इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स एंसिलरी इंडस्ट्रीज को आर्डर देना नहीं चाहते, बाहर आर्डर दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें

कमीशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। क्या यह सरकार को मालूम है, और अगर मालूम है कि यह सही बात है तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी और भविष्य में इसका बराबर इंतजाम करेगी कि माइंदा एंसिलरी इंडस्ट्रीज जितनी खली हैं, जो उन बिग इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, उनको रा-मेटैरियल, स्पेसिफिकेशन आदि मिल सके, और पूरा-पूरा काम इन इंडस्ट्रीज को मिल सके, क्या इसकी व्यवस्था करेंगे ?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** Sir, we get our ancillary and other type of equipments and products not merely from the ancillary industries established there, but also from a large number of small scale industries which sometimes also come up near the big units. That is why I gave the additional figures in respect of the small scale industries. In the Statement I have separated the number of ancillary industries and the number of small scale industries and the concessions which we give them are also spelt out in the second part of the statement which has been laid on the Table of the House. In regard to complaints, sometimes we get the complaints that the products of the ancillary industries are not being taken by the parent units. In such cases, immediately we take action and follow it up and if any specific complaints come to us, we will look into them.

### खनिज विकास के लिए उपकर

\* 489. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज उत्पादक क्षेत्रों में खनिज विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विकास उपकर अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार ने विकास उपकर समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(ग) सरकार का विचार इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

**THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE):** (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

Levy of Development Cess is not compulsory under the provisions of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act. However, some State Governments are levying such a cess.

2. The Central Government set up a Committee in 1972 to examine the question of the levy of a development cess on minerals. This Committee was of the view that it was necessary and desirable to make rapid development in the infrastructure facilities in the mining areas and for this purpose a development cess should be levied. After examining the recommendations of the Committee, a view was taken by the Government in 1975 that the proposal to levy a development cess need not be pursued. However, the issue is still being raised by certain State Governments. This is under consideration.

श्री फूल चन्द वर्मा : स्टेटमेंट में कहा गया है कि खनिज विकास उपकर लगाना अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ राज्य सरकारें इसको कार्यरूप में परिणत कर रही हैं। यह भी बताया गया है कि 1972 में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई थी और सरकार ने 1975 में यह निर्णय लिया कि इस प्रकार का उपकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इसको लगाना अनिवार्य नहीं है और क्या कारण है कि इसके बावजूद भी राज्य सरकारें इस कर को लगाना चाहती हैं? मैं यह